सविनय अवज्ञा आंदोलन और महिलाएं

(बिहार के संदर्भ में)

सुनीत कुमार

शोधार्थी

स्नातकोत्तर इतिहास विभाग

ल0ना0मि0वि0 दरभंगा।

1920 ई0 के अंत तक सारे देश में स्वतंत्रता की अदम्य तृष्णा जागृत हो चुकी थी। तदुपरान्त कठिनाईयाँ एक के बाद एक तेजी से आती गई। शीर्ष बिन्दु पर पहुँचती हुई एक नाटक की तरह है।[1] गांधीजी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आन्दोलन का आरंभ होने से हमारे देश के इतिहास में 1930 ई0 एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ष एवं विस्मयकारी वर्ष सिद्ध हुआ।[1]

गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रारूप दिसम्बर 1929 ई0 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहर लाल नेहरू थे। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रारूप भी तैयार हुआ। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला लिया गया।[2]

गाँधीजी के आह्वान पर बिहार में अनेक महिलाएं पर्दा से बाहर और गांधीजी की अपील का सोत्साह उत्तर दिया। विशेष करके पटना में विदेशी वस्त्र बहिष्कार को जो सफलता मिली उसका श्रेय अधिकतर महिलाओं को था। श्रीमती हसन इमाम के नेतृत्व में कुछ स्त्रियाँ पटना की सड़कों पर घूमी एवं दुकानदारों में विदेशी वस्त्र का व्यापार नहीं करने की अपील की। श्रीमती विन्ध्यवासिनी देवी ने भी इसमें प्रमुख रूप से भाग लिया। इस शंका से कि स्त्रियां नशीले द्रव्यों की दुकान पर धरना देने में भाग लेगी, पटना के सिटी मजिस्ट्रेट ने महिला पुलिस' नियुक्त करने का सुझाव दिया। जिलाधिकारी और आयुक्त को यह सुझाव व्यवहारिक प्रतीत नहीं हुआ।[3]

दरअसल बिहार की शिक्षित महिलाओं में जागृति के लक्षण पूर्व से ही दीख रहे थे। जनवरी 1929 ई0 में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का एक अधिवेशन हुआ जिसमें बिहार की महिलाओं को देश के अन्य भागों की महिलाओं से मिलने का अवसर मिला और देश की स्वतंत्रता एवं महिला समाज में जो कुरीतिया फेली हुई थी, उन्हें दूर करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। बिहार में सम्मेलन की एक शाखा का संगठन किया गय। इसका एक अधिवेशन 07 दिसम्बर 1929 ई0 को हुआ। उसमें शारदा सिंह के समर्थन तथा पर्दा प्रथा एवं दहेज प्रथा के विरोध में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रांत में नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर दिया गयाद्य।[4]

बिहार से कुछ महिला प्रतिनिधियों ने 20 जनवरी 1930 ई0 को बंबई में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधारों के हेतु अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के अधिवेशन में भाग लिया। बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन गया के थियोसोफिकल हॉल में 04 दिसम्बर 1930 ई0 को श्री नन्द किशोर लाल की पत्नी की अध्यक्षता में हुआ। बिहार के लिए एक स्थायी समिति की सदस्या कमल कामिनी देवी ने पिछले वर्ष के कार्यो की एक रिपोर्ट पढ़ी और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के आगामी अधिवेशन के लिए कुछ प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया गया।[5]

बिहार की महिलाओं ने नमक सत्याग्रह में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सासाराम में बार एट लॉ राम बहादुर की पत्नी श्रीमती राम बहादुर ने महिलाओं के दल की अगुआई की। वहाँ के पुलिस स्टेशन के सामने नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया।[6]

सारण जिले में नमक सत्याग्रह की शुरूआत 06 अप्रैल 1930 ई0 को हुई। उस समय बहुत ही रोचक दृश्य उपस्थित हुआ। जब 200 महिलाओं ने बरेजा के सत्याग्रह कैम्प से अपने पतियों, भाइयों और सगे संबंधियों को विदा किया। उन्होंने सत्याग्रहियों को तिलक लगाकर और माला पहनाकर विदा किया।[7]

मुजफ्फरपुर में सत्याग्रह आन्दोलन 7 अप्रैल 1930 ई0 को राम दयालु सिंह के निर्देशन में शरू हुआ। सत्याग्रहियों का जत्था नमक बनाने के लिए शिवहर गया। जनकधारी प्रसाद की दादी और आचार्य कृपलानी ने स्वयंसेवकों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें विदा किया। शिवहर के रामवाग में पुलिस ने भीड़ को तितर–वितर किया और नेताओं को हिरासत में ले लिया।[8]

संथाल परगना में गांधीजी के आह्वान पर सत्याग्रह आन्दोलन ने जोर पकड़ लिया। 10 अप्रैल 1930 ई0 को शशिभूषण राय की पत्नी शिवाईजोर पहुँची और उन्होंने महिलाओं की भीड़ को संबोधित किया।[9]

ब्रितानी सरकार ने सत्याग्राहियों के दमन में कोई कसर नहीं छोड़ी। 16 अप्रैल 1930 ई0 को जवाहर लाल नेहरू गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने जगह–जगह फायरिंग की, लाठी चार्ज किया और सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया। यहां तक की महिलाओं को भी नहीं बख्शा। 1910 के प्रेस एक्ट को कड़ाई से लागू किया और समाचार पत्रों पर प्रतिबन्ध लगाया। अनेक समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन रूक गया। अनेक पुरूषों और महिलाओं को लाठियाँ खानी पड़ी। पुलिस फायरिंग में सैकड़ों स्त्री और पुरूषों की मौत हुई।[10]

मुंगेर जिले में 17 अप्रैल 1930 ई0 को सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ। उत्तरी मुंगेर में गढ़पुरा नमक निर्माण का मुख्य केन्द्र था। जहाँ सुरेश चन्द्र मिश्र की माता के नेतृत्व में वहां नमक बनायी गई। पुलिस वहां सत्याग्रहियों के प्रयास को नमक कानून तोड़ने से रोक नहीं सकी।[11]

राँची के डिप्टी कमिश्नर के 24 अप्रैल 1930 के रिपोर्ट से पता चलता है कि 18 अप्रैल 1930 ई0 को वकील केदार नाथ की पत्नी सरस्वती देवी और संत कोलम्बस कॉलेज के प्रोफेसर की पुत्री मीरा देवी ने ताना भगतों की मीटिंग को संबंधित किया। डिप्टी कमिश्नर ने उनके भाषणों पर ऐतराज किया था।[12]

19 अप्रैल को राँची में कांग्रेस की मीटिंग हुए जिसकों दो महिलाओं ने भी सम्बोधित किया। उस दिन सरस्वती देवी और मीरा देवी ने हीनू में महिलाओं की मीटिंग को सम्बोधित किया, जिसमें अधिकांश बंगाली महिलाएं थी।[13]

22 अप्रैल 1930 को कुछ बंगाली महिलाओं ने पूर्णिया के खजांची हाट में घर–घर जाकर स्वराज फंड के लिए चंदा संग्रह किया। इनमें पी. सी. सेन की पत्नी, राज बहादुर निशिकान्त सेन की पुत्री, हरे लाल मेहता की पत्नी, एवं केदार नाथ भट्टाचार्य की पत्नी और डॉ0 अमरेन्द्र नाथ भट्टाचार्य की माताजी थी।[14]

24 अप्रैल 1930 को सीतामढ़ी टाउन के अनाथालय में नमक निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। श्रीमती सम दयालु सिंह ने समूचे एरिया का भ्रमण किया और जगह–जगह स्पीच दी। उनके साथ सीतामढ़ी के किशनपुर की महिलाए थी।[15]

श्रीमती चन्दावती देवी और श्रीमती कमलेश्वरी देवी ने मुजफ्फरपुर में नमक निर्माण को प्रोत्साहित किया।[16]

बिहार में नमक सत्याग्रह में पटना का सत्याग्रह उल्लेखनीय है जो 16 अप्रैल से 21 अप्रैल 1930 ई0 तक चला। पटना में नखास पिंड नामक स्थान नमक बनाने के लिए निश्चित हुआ था। 16 अप्रैल को सर्चलाइट के भूतवूर्व मैनेजर अम्बिका कान्त सिन्हा के नेतृत्व मे सत्याग्रहियों का दल जब नखास पिंड के लिए प्रस्थान किया तब पुलिस ने जुलूस को सुल्तानगंज थाने के पास रोक दिया और सत्याग्रहियों की खूब पिटाई हुई। गोपाल कृष्ण प्रसाद को इतनी लाठियां लगी थी कि एक सप्ताह की परिचर्या के पश्चात ही वे चलने फिरने लायक हुए।[17]

पुलिस ने अम्बिकाकांत सिन्हा, जैसुलाल गुप्त और 19 अन्य स्वयंसेवकों को सुलतानगंज के पास गिरफ्तार कर लिया। परंतु सत्याग्रहियों का जोश बढ़ता गया। राजेन्द्र प्रसाद बिहार के अन्य स्थानों का दौरा कर लौटे तो उन्हें स्टीमर पर ही मालूम हुआ कि पटने में सत्याग्रह शुरू हो गया है वे सीधे उस स्थल पर गए जहाँ पुलिस के सिपाहियों ने सत्याग्रहियों का रास्ता रोक रखा था। सत्याग्रही दिन भर वहीं खड़े रहे। रात होने पर वहीं सड़कों पर सो गए। मुहल्ले वालों ने उन्हें भोजन कराए और सोने के लिए बिस्तर दिए।[18]

दूसरे दिन जिलाधीश ने राजेन्द्र प्रसाद से कहा कि वे सत्याग्रहियों को वहाँ से हटा दें नहीं तो सरकार की तरफ से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और उसकी पूरी जवावदेही उन्हीं की होगी। परंतु अपने सहयोगियों से सलाह करने के बाद राजेन्द्र प्रसाद ने सत्याग्रहियों को हटाने से इन्कार कर दिया।[19]

4 मई 1930 ई0 को जब महात्मा गाँधीजी गिरफ्तार कर लिए गए, तब इसके विरोध में जगह–जगह हड़ताल तथा प्रदर्शन हुए और सीभाओं में विदेशी वस्त्रों विशेषकर ब्रिटिश वस्त्रों के बहिष्कार, अदालतों के बहिष्कार तथा शराब की दुकानों पर धरना देने के प्रस्ताव कमिटी ने सभी सहायक समितियों को यह आदेश दिया कि 16 मई से विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों पर धरना दिया जाय।[20]

विदेशी वस्त्र वहिष्कार तथा मद्यपान निषेघ में बिहार की जनता तथा व्यापारी दोनों में उत्साह था। प्रायः सभी शहरों तथा नगरों के व्यापारियों ने अपने दुकानों की सभी विदेशी कपड़ों की गांठो बाँधकर उस पर कांग्रेस की मुहर लगा दी। व्यापारियों में एक तरह की प्रतियोगिता हो गई कि अमुक शहर के व्यापारियों ने विदेशी कपड़ों की गांठे बांध दी कि अमुक शहर के व्यापारियों ने विदेशी कपड़ों की गांठे बाध दी तो हम ऐसा क्यों नहीं करें। व्यापारियों की एक समिति भी होती थी, जिसका काम यह देखना होता था कि कोई व्यापारी विदेशी कपड़ों की बिक्री न करें। अगर कोई ऐसा करता था तो समिति उस पर जुर्माना करती थी।[21]

विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों पर धरना देने के काम में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पटना की महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम, उनकी पुत्री शमी, विन्ध्यवासिनी देवी, श्रीमती सी. सी. दास और उनकी पुत्री सुश्री गौरीदास ने किया। श्रीमती नन्द किशोर लाल तथा कमल कामिनी प्रसाद के कार्य भी उल्लेखनीय है। इन महिलाओं ने नगर की सड़कों पर जुलुस निकालकर विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का प्रचार किया तथा व्यापारियों के घरों में जाकर उनके आग्रह किया था कि वे विदेशी वस्त्रों का व्यापार न करें। इन कहिलाओं ने शराब की दुकानों पर भी सफलतापूर्वक धरना दिया। आन्दोलन दिनों दिन तीव्रतर होता गया जिससे सरकार को महिला पुलिस की बहाली करनी पड़ी।[22]

मोतीहारी में तीन महिलाओं और पाँच लड़कियों ने गांजा की दुकान पर धरना दिया। जिसके परिणामस्वरूप वहां गांजा की बिक्री एक तिहाई घट गई।[23]

पूर्णिया में महिला स्वयंसेविका काफी सक्रिय थी। उनमें से कुछ महिलाऐं कोर्ट कम्पाउन्ड में गई और वहाँ गोकुल कृष्ण राय को फूल माला पहनायी जिन्होंने ठिकापट्टी गाँव के लिए नमक बनाने का कार्य किया था। जेलगेट पर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में वहाँ पहुची। रायबहादुर निशिकांत सेन की पत्नी और पुत्री ने बढ़–चढ़कर राष्ट्रीय आन्दोलन में हिस्सा लिया। यद्यपि राय बहादुर सेन स्वयं इसके खिलाफ थे। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्री को इसके लिए निरूत्साहित किया। लेकिन उनकी पत्नी परिवार को छोड़कर कुछ दिनों के लिए निकल गई।[24]

बिहार के सविनय अवज्ञा आन्दोलन के इतिहास में वीहपुर का सत्याग्रह अधिक महत्वपूर्ण है। एक दिन कांग्रेसी स्वयंसेवकों ने गांजे की एक दुकान पर पहरा बैठा दिया। जिसके फलस्वरूप पुलिस ने कांग्रेस आश्रम को दखल कर स्वयंसेवकों को वहाँ से मारपीट कर निकाल दिया। पुलिस का यह काम बिल्कुल गलत ढ़ंग से हुआ। जिससे वीहपुर के लोगों ने आश्रम को कब्जे में लेने के लिए सत्याग्रह करने का निश्चय किया। 2 से 6 जून तक प्रतिदिन सत्याग्रही हाथ में झंडा लिए जाने लगे और गिरफ्तार होते गए कभी–कभी पुलिस उन्हें मारपीट कर छोड देती।[25] भागलपुर जिले की महिलाओं ने भी इस सत्याग्रह में हिस्सा लिया।[26]

पूर्णिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस0 डी0 ओ0 अररिया ने रिपोर्ट किया था कि मुजफ्फरपुर के जगदीश नारायण वर्मा की पत्नी श्रीमती चन्द्रवती देवी ने जून 1930 ई0 में इन जिलों का भ्रमण किया। जिससे अररिया के धरना कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया और कई जगहों पर उनके भाषणों से आन्दोलन को नया बल मिला।[27]

गया की साधना देवी, जो बनारस में नर्स थी, ने अपनी नौकरी छोड़ दी और महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में कूद पड़ी। उसने देवघर में 13 और 14 जून 1930 को अपने भाषण से जान फूंक दी। उसने महिलाओं को सम्बोधित करते हुए कहा–विदेशी सामान का बहिष्कार करों। जागो और दुसरों को जागने दो। सरकार हमारा दमन कर दी है। चरखा और हैण्डलूम हर घर में शुरू करना चाहिए और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करना चाहिए। मैं सभी बहनों से कहती हूँ कि अपने देश के लिए काम करो। अपने पतियों एवं बच्चों को भी जीवन दान देने को कहा।[28]

गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र की महिलाएं अपने घरों से निकाली गई और उनके गहने जप्त कर लिये गये।[29] 15 जून 1930 ई0 को भागलपुर डिवीजन के कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी बिहार और उड़ीसा को रिपोर्ट किया कि भागलपुर में महिला स्वयं सेविकाएं विदेशी वस्त्रों के दुकानों पर धरना दे रही है।[30] वर्तमान गोपालगंज जिले में भोरे थानान्तर्गत अचारी वनकटा गांव के कांग्रेस स्वयंसेवक दलपति राम सुन्दर लाल को 25 मई 1930 को कुछ लोगों ने मारपीट कर अधमरा कर दिया। लोग पासी तथा चौकीदार को यहाँ तक कि उस अधमरे को तपते बालू में गाड़ दिया।[31]

इस प्रकार महिलाओं ने एक नया इतिहास कायम किया। उन्होंने प्रत्येक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने नमक बनाकर इनको प्रत्येक वर्ग में बिक्री किया। वे गाना बनाती, गीत गाती, प्रभात फेरी निकालती, बैच लेकर जुलूस में भाग

लेती और नारे लगाती थी। वे राष्ट्रीय हित के लिए महिलाओं को शिक्षा देती थी। उन्होंने कई जगहों पर गिरफ्तारियां भी दी। यहां तक कि पुलिस की गोली खाने से भी नहीं डरी।[32]

शाह मोहम्मद जुब्बैर की पत्नी ने भी पर्दा का परित्याग कर 4 जुलाई को मुंगेर में एक सभा में भाषण दिया और बहिष्कार आन्दोलन चलाने के लिए एक महिला समिति का संगठन किया। श्री हसन इमाम की पत्नी एवं कन्या, श्रीमती विन्ध्यवासिनी देवी तथा कुछ अन्य प्रमुख महिलाओं को पुलिस एक्ट की धारा 301 की 193 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अदालत में हाजिर होने का सम्मान मिला। पुलिस एक्ट की धारा 32 के अन्तर्गत सर्चलाईट के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद, पटना मेंबर कांग्रेस कमिटी के सचिव श्री सारंगधर सिंह और पटना हाई कोर्ट के वकील श्री झूलन प्रसाद वर्मा को भी अदालत में बुलाया गया। इसके विरोध में पटना में समाए हुई और जुलूस निकाली गई।[33]

तीनों को दो–दो सौ रूपया जुर्माना हुआ। जिसको नहीं देने पर 6 महीने सधारण कैद की सजा सुनाई गई। हसन इमाम की पत्नी को 200 रूपया और अन्य महिलाओं को एक सौ रूपया जुर्माना किया गया। इन्होंने खुली अदालत में वक्तव्य दिए कि वे जुर्माना नहीं देगी। किन्तु मजिस्ट्रेट ने कहा कि कानून उनसे जुर्माना वसूल करने में समर्थ था और चले जाने दिया।[34]

श्री हसन इमाम की पत्नी एवं मिसेज समी तथा कुमारी गौरी दास ने आन्दोलन को आगे बढ़ने के लिए प्रांत की यात्रा प्रारंभ की। हजारीबाग और कुछ अन्य जिले उनके मुख्यतः कार्य क्षेत्र थे।[35] श्री हसन इमाम की पत्नी ने मुजफ्फपुर की महिलाओं की एक समिति बनाकर कताई का प्रचार अभियान चलाया। उसने गया में स्थानीय सरकारी अधिकारियों और नगरपालिका द्वारा अनेक तरह की बाधाए डालने के बाबजूद 5 अगस्त के दूसरे पहर सभा की।[36] इस संबंध में एक उल्लेखनीय बात यह थी कि श्रीमती मीरा बहन बिहार में चरखा के व्यवहार के लिए जोरदार प्रयास करने हेतु यात्रा कर रही थी। 2 अगस्त को श्रीमती चन्द्रावती देवी ने गया में एक सभा में भाषण देते हुए चौकीदारी टैक्स नहीं देने पर बल दिया।[37]

बिहार के महिलाओं के प्रयत्न से चरखा अभियान को बल मिल रहा था। अगस्त महीने में भैरवा थाना में 6000 चरखा और 163 करघा चलाया जा रहा था। लगभग 2500 रूपये का सूत तैयार किया गया और 154 मन सूत खरीदा गया।[38] इस आन्दोलन में वैसी महिलाओं ने भी भाग लिया जो कभी घर से बाहर नहीं निकली और दुकानों पर महिलाओं के रहते कोई भी खरीदार अन्दर जाने कि हिम्मत नहीं करता था। राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है सबेरे ही 8–9 बजे तक कांग्रेसी कार्यकर्त्ता उनको (महिलाओं के) अपने–अपने घरों से बुलाकर नियत दुकानों पर बिठा देते। फिर शाम होने पर उन्हें उनके घरों तक पहुँचा देते।

14 नवम्बर 1930 ई0 को जवाहर लाल नेहरू के जन्मदिन को मनाने का निर्णय लिया गया था। उस समय वे जेल में थे। बिहार में भी एवं ने केवल लिजा सव डिवीजन स्तर पर बल्कि कई गांवो में भी जन्मदिन मनाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन सरकार ने धारा 144 लगाकर जन्मोत्सव रोकने का प्रयास किया तथा कुछ सक्रिय नेताओं को गिरफ्तार भी किया और श्रीमती विद्यावती देवी (गया), श्रीमती सेवा देवी (लखीसराय) और श्रीमती विन्ध्यवासिनी देवी (पटना) को भी गिरफ्तार कर लिया गया।[40]

18 नवम्बर 1931 ई0 को पटना टाउन कांग्रेस कमिटी के तत्वधान में मछुआ टोली में आर्य कुमार भवन के कम्पाउन्ड में महिलाओं की मीटिंग हुई। श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय और श्रीमती सोफिया ने इस मीटिंग को सम्बोधित किया। श्रीमती चन्द्रावती देवी ने कमला देवी का परिचय दिया और उनके अनुरूप काम करने को कहा। कमला देवी ने कहा कि हिन्दुस्तान सेवा दल का काम शिक्षित करना है और देश के लिए प्रशिक्षित करना है।[41]

बड़े पैमाने पर महिलाओं की गिरफ्तारी अन्य जगहों पर भी हुई। मुंगेर में श्रीमती सोना देवी (विरंगजी साहु की पत्नी), श्रीमती ठाकुर देवी (केदार प्रसाद की पत्नी), श्रीमती मूर्ति देवी (जदुनंदन की माता), श्रीमती यशोदा (कोड़ा मैदान) की गिरफ्तारी पोस्ट ऑफिस पर धरना देने के क्रम में हुई। पूरबसराय (मुंगेर) की लक्ष्मी देवी भी जेल भेजी गई। कुछ महिलाओं को दो बार जेल भेजा गया। खगड़िया थाना के अलौली के बद्रीनारायण सिंह की पत्नी श्रीमती सीता देवी को जेल की सजा हुई। गोगरी की 15 महिलाएं मुंगेर में जुलूस और धरना में शामिल होने के कारण गिरफ्तार हो गई। इनमें कांग्रेस कार्यकर्ता सुरेश चन्द्र मिश्रा की माता श्रीमती अनूप देवी, मघुपुर के अवध नारायण सिंह की पत्नी सुशीला देवी, पाक युसुफ गोगरी जमालपुर के विटमी मंडल की पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी प्रमुख हैं। कन्हैया चक की सूर्यनारायण शर्मा की पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी तथा अन्य महिलाऐं भी जेल गई। दूसरे जिलों में भी महिलाए गिरफ्तार हुई।[42]

सरकार के दमनचक्र के बाबजूद बिहार की महिलाओं का हौसला काफी प्रबल रहा। 26 जनवरी 1932 ई0 को स्वतंत्रता दिवस सफलतापूर्वक मनाया गया।[43] दरभंगा में भी महिलाओं ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में 26 जनवरी 1932 ई0 को हिस्सा लिया। दरभंगा के डी0 एम0 ने चीफ सेक्रेटरी को तार भेजा कि दरभंगा शहर में स्वयंसेवकों की भारी संख्या एकत्रित हुई जिनको हटा दिया गया। 74 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया जिसमें से 14 महिलाएं थी। हरलाखी बोर्डर थाना के एसआई बुरी तरह घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।[44]

26 जनवरी 1933 ई0 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर अनुग्रह नारायण सिंह राजवंशी देवी, चन्द्रावती देवी तथा अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। चन्द्रावती देवी को 18 मास के कठिन कारावास की सजा हुई।[45]

संदर्भ सूची :–

1. बिहार में स्वातंत्र्य संग्राम का इतिहास, के. के. दत्ता, भाग–2, पृष्ठ– 209
2. बिहार का इतिहास, राघा कृष्ण शर्मा, पृष्ठ– 284
3. द सर्चलाईट, 22 फरवरी 1930
4. पटना आयुक्त का अभिलेख
5. बिहार में स्वातंत्र्य संग्राम का इतिहास, के. के. दत्ता, पृष्ठ– 91
6. द सर्चलाईट, 9 फरवरी और 11 दिसम्बर 1930
7. बिहार में स्वातंत्र्य संग्राम का इतिहास, के. के. दत्ता, पृष्ठ– 93
8. द सर्चलाईट, 9 फरवरी 1930
9. हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेन्ट इन बिहार, पी. एन. ओझा, पृष्ठ– 337
10. बिहार में स्वातंत्र्य संग्राम का इतिहास, के. के. दत्ता, पृष्ठ– 84
11. हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, खंड–1, पृष्ठ– 212
12. विमेन एन्ड फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, सुधा कुमारी
13. फाईल नं0–161/1930, बिहार पॉलिटिकल (स्पेशल) डिपार्टमेन्ट, पटना
14. फाईल नं0–161/1930, बिहार पॉलिटिकल (स्पेशल) डिपार्टमेन्ट, पटना
15. फाईल नं0–158/1930, बिहार पॉलिटिकल (स्पेशल) डिपार्टमेन्ट, पटना
16. फाईल नं0–157/1930, बिहार पॉलिटिकल (स्पेशल) डिपार्टमेन्ट, पटना
17. फ्रीडम फाइटर वर्सेज पुलिस, गोपाल कृष्ण प्रसाद, सर्चलाइट गोल्डे जुबली सोवेनियर– 1933, पृष्ठ– 25
18. बिहार में राष्ट्रीयता का विकास, एन. एम. पी. श्रीवास्तव, पृष्ठ– 88
19. आत्मकथा, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, पृष्ठ– 327
20. बिहार में राष्ट्रीयता का विकास, एन. एम. पी. श्रीवास्तव, पृष्ठ– 89
21. आत्मकथा, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, पृष्ठ– 332
22. बिहार की महिलायें, शिवपूजन सहाय, पृष्ठ– 313
23. केसरिया के एस. आई. की रिपोर्ट, फाईल नं0– 138/1930, बिहार पॉलिटिकल (स्पेशल) डिपार्टमेन्ट, पटना।
24. फाईल नं0–158/1930, बिहार पॉलिटिकल (स्पेशल) डिपार्टमेन्ट, पटना
25. मेरे संस्मरण अनुग्रह नारायण सिंह, पृष्ठ– 154
26. हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेन्ट इन बिहार, पी. एन. ओझा, पृष्ठ– 393
27. फाईल नं0–158/1930, बिहार पॉलिटिकल (स्पेशल) डिपार्टमेन्ट, पटना
28. फाईल नं0–181/1930, बिहार पॉलिटिकल (स्पेशल) डिपार्टमेन्ट, पटना
29. बिहार में स्वातंत्र्य संग्राम का इतिहास, के. के. दत्ता, भाग–2, पृष्ठ– 129
30. फाईल नं0–172/1930, बिहार पॉलिटिकल (स्पेशल) डिपार्टमेन्ट, पटना
31. इंडियन नेशनल मूवमेन्ट, नागेन्द्र कुमार, पृष्ठ– 104
32. वीमेन एन्ड द फ्रीडम मूवमेन्ट इन बिहार, सुधा कुमारी सिंहा, पृष्ठ– 49
33. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, 13 अगस्त 1930
34. बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की साप्ताहिक रिर्पोट, अगस्त– 1930
35. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, 27 अगस्त 1930
36. बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की साप्ताहिक रिर्पोट, 13 अगस्त– 1930
37. बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की साप्ताहिक रिर्पोट, 13 अगस्त– 1930
38. बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की साप्ताहिक रिर्पोट, 27 अगस्त– 1930
39. आत्मकथा, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, पृष्ठ– 333
40. फाईल नं0–44/1931, बिहार पॉलिटिकल (स्पेशल) डिपार्टमेन्ट, पटना
41. सत्याग्रह समाचार (पटना) 22 जनवरी 1932
42. बिहार में स्वातंत्र्य संग्राम का इतिहास, के. के. दत्ता, खंड–3, पृष्ठ– 182
43. फाईल नं0–82/1932, बिहार पॉलिटिकल (स्पेशल) डिपार्टमेन्ट, पटना
44. बिहार की महिलायें, शिवपूजन सहाय, पृष्ठ– 318
45. द इंडियन नेशनल मूवमेन्ट, नागेन्द्र कुमार, पृष्ठ– 130